रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 321] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 1986/श्रावण 16, 1908
NO. 321] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 1986/SRAVANA 16, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1986

अधिसूचना

का. आ. 480 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अक्तूबर, 1986 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम का अध्याय XXग निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होगा, अर्थात् :—

(i) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र,

(ii) मुम्बई नगर निगम अधिनियम, (1888 का अधिनियम सं. 3) के अधीन "बृहत्तर मुम्बई" में समाविष्ट क्षेत्र;

(iii) पश्चिमी बंगाल नगर और ग्राम (योजना और विकास) अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम सं. 13) के अधीन "कलकत्ता महानगर क्षेत्र" में समाविष्ट क्षेत्र; और

(vi) तमिलनाडु नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1971 (1972 का अधिनियम सं. 35) के अधीन "मद्रास महानगर योजना क्षेत्र" में समाविष्ट क्षेत्र।

[फा. सं. 316/48/86—धन कर]

ए. के. सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Central Board of Direct Taxes

New Delhi, the 7th August, 1986

NOTIFICATION

S.O. 480 (E) .—In exercise of the powers conferred by section 269 U of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 1986 as the date on which Chapter XXC of the said Act shall come into force in :—

(i) the Union territory of Delhi,

(ii) the areas comprised in 'Greater Bombay' within the meaning of the Bombay Municipal Corporation Act (Act No. 3 of 1888);

(iii) the areas comprised in 'Calcutta Metropolitan Area' within the meaning of the West Bengal Town and Country (Planning and Development) Act, 1979 (Act No. 13 of 1979) ; and

(iv) the areas comprised in "Madras Metropolitan Planning Area" within the meaning of the Tamil Nadu Town and Country Planning Act, 1971 (Act No. 35 of 1972).

[F. No. 316|48|86-WT]

A. K. SINGH, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986